सामान्य भविष्य निधि नियम–परिशिष्ट

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली 1985 के नियम–23 में **'जमा सम्बद्ध बीमा योजना'** की व्यवस्था की गयी है जिसके अन्तर्गत अभिदाता की सेवारत रहते हुए मृत्यु होने की स्थिति में अन्तिम भुगतान स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन अभिदाता की मृत्यु से पूर्ववर्ती तीन वर्षों में उसके खाते में जमा धनराशि के औसत के बराबर अतिरिक्त धनराशि (जिसकी अधिकतम सीमा समय–समय पर परिवर्तित होती रही है) निधि में जमा अवशेष धनराशि पाने के हकदार व्यक्ति को स्वीकृत की जाती है। शासनादेश संख्या–4/2016/जी–2–87/दस–2016–501/75 टी0सी0 दिनांक 11 अगस्त, 2016 द्वारा योजनान्तर्गत देय धनराशि की अधिकतम सीमा एवं देयता की शर्तों में संशोधन किया गया है। शासनादेश दिनांक 11 अगस्त, 2016 अग्रलिखित हैः–

वेतन निर्धारण–परिशिष्ट

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गठित वेतन समिति (2016) द्वारा की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू की गयी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण हेतु निम्नलिखित शासनादेश निर्गत किये गये हैं:–

(1) शासनादेश संख्या–67 / 2016 / वे0आ0–2–1447 / दस–04(एम) / 2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

विषयः– **पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण।**

इस शासनादेश में दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया का विस्तृत एवं सोदाहरण विवरण दिया गया है।

(2) शासनादेश संख्या–6 / 2017वे0आ0–2–03–वी0आई0पी0 / दस–2017 दिनांक 30 मार्च, 2017

विषयः– **पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण।**

इस शासनादेश में कतिपय स्थितियों में विकल्प संशोधन तथा वेतनवृद्धि की देयता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया गया है।

(3) शासनादेश संख्याा–8 / 2017 / जी–2–75 / दस–2017–01(वे0सं0) / 2017 दिनांक 07 जून, 2017

विषयः– **पदोन्नति पर मूल नियम 22–बी के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के लिए तिथि का विकल्प ।**

इस शासनादेश में सरकारी सेवक की प्रोन्नति होने अथवा उसे ए0सी0पी0 की व्यवस्थानुसार वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर उसको मूल नियम 23(1) के अन्तर्गत प्रोन्नति / वित्तीय स्तरोन्नयन की तिथि अथवा अगली वेतनवृद्धि की तिथि को मूल नियम 22बी(1) के अनुसार वेतन निर्धारण कराने का विकल्प यथावत उपलब्ध रहने का उल्लेख किया गया है।

(4) शासनादेश संख्याा–10 / 2017 / जी–2–190 / दस–2017–01(वे0सं0) / 2017 दिनांक 10 अक्टूबर, 2017

विषयः– **पदोन्नति पर मूल नियम 22–बी के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के लिए तिथि का विकल्प।**

इस शासनादेश द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पदोन्नति अथवा वित्तीय स्तरोन्नयन होने पर वेतन निर्धारण हेतु एक माह के अन्दर विकल्प दिया जा सकेगा तथा जिन कार्मिकों ने अपनी पदोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन पर शासनादेश दिनांक 07–06–2017 के अभाव में कोई विकल्प नहीं दिया है, वे इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर अपना विकल्प दे सकेंगे अथवा पूर्व में दिये गये विकल्प को संशोधित कर सकेंगे। साथ ही शासनादेश के संलग्नक में उपर्युक्तानुसार दिये गये विकल्प के अन्तर्गत वेतन निर्धारण की प्रक्रिया को सोदाहरण स्पष्ट किया गया है।

(5) शासनादेश संख्या–2/2018/वे0आ0–2–78/दस–2018–04(एम)/2016 दिनांक 31 जनवरी, 2018

विषयः– **पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण में संशोधन ।**

इस शासनादेश द्वारा ऊपर सन्दर्भित 'पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण ' विषयक शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर–8 जो कि **वेतन मैट्रिक्स में अगली वेतन वृद्धि की तिथि** से सम्बन्धित है, को प्रतिस्थापित किया गया है।

(6) शासनादेश संख्याा–2/2018/जी–2–24/दस–2018–01(वे0सं0)/2017 दिनांक 31 जनवरी, 2018

विषयः– **पदोन्नति पर मूल नियम 22–बी के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के लिए तिथि का विकल्प।**

इस शासनादेश द्वारा शासनादेश दिनांक 07 जून, 2017 एवं शासनादेश दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 में वर्णित वेतन निर्धारण की प्रक्रिया तथा आगामी वेतनवृद्धि के विनियमन की व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए शासनादेश दिनांक 07 जून, 2017 एवं शासनादेश दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 (उदाहरण सहित) को आंशिक रूप से संशोधित किया गया है।